ज्ञापन-पत्र जिनमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2025) को प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया।

वर्तमान अर्थजगत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की अवधारणा प्रचलित है। उक्त अवधारणात्मक वातावरण में अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को कम किया जा रहा है, ताकि अर्थव्यवस्थाएं मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पर अपनी नैसर्गिक क्षमता के आधार पर पुष्पित पल्लवित हो सके। उक्त के दृष्टिगत आधुनिक राज्य अविनियमन (Deregulation) पर बल दे रहे हैं। इंस्पेक्टर राज के विपरित अविनियमन की अवधारणा कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) के रूप में उदित हुई है।

प्रदेश सरकार द्वारा 01 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के प्रति, प्रदेश में निर्माण क्षेत्र के विस्तार तथा प्रदेश में समग्र रूप से रोजगार के अवसर सृजन के उद्देश्य से ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के वातावरण में महत्वपूर्ण रूप से सुधार कर निरंतर वृद्धि की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य को ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के क्षेत्र में उछाल प्रदान करने हेतु राज्य के कतिपय अधिनियमों के विनियामक प्रावधानों में निरपराधिकरण एवं युक्तिसंगत सुधार करते हुए विश्वास आधारित सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से, व्यवसाय से संबंधित अपराधों में जेल की सजा के स्थान पर सिविल जुर्माने का प्रावधान करने का विनिश्चय किया गया।

मा0 मंत्रि परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 प्रख्यापित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी
मंत्री,
औधोगिक विकास।

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2025)

[उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रख्यापित किया गया तथा दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2, खण्ड (क) में प्रकाशित हुआ।]

(भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

जीवन तथा कारबार को सुगम बनाने हेतु विश्वास–आधारित शासन में और अधिक वृद्धि हेतु अपराधों के गैर–अपराधीकरण तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए कतिपय अधिनियमितियों के संशोधन हेतु

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे; तथा अनुसूची में उल्लिखित भिन्न—भिन्न अधिनियमों से सम्बंधित संशोधनों के लिए भिन्न—भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन

2—अनुसूची के स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों को स्तम्भ (5) में उल्लिखित रीति में और सीमा तक एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

जुर्माने तथा शास्तियों का पुनरीक्षण

3—अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों में विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माने तथा शास्तियाँ इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के दिनांक से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथास्थिति, इस हेतु निर्धारित जुर्माना तथा शास्ति की न्यूनतम धनराशि के दस प्रतिशत से वृद्धि की जाएगी।

व्यावृत्ति

4—इस अध्यादेश द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन या निरसन से ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो; और यह अध्यादेश पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बंध में पहले से पूर्ण कोई उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं करेगा; न ही यह अध्यादेश इस बात के होते हुए कोई सिद्धांत या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित करेगा कि एतद्द्वारा संशोधित या निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा; और न ही इस अध्यादेश द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन या निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित होंगे।

अनुसूची

(भाग 2 देखें)

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1953	14	उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय का विनियमन) अधिनियम, 1953	(क) धारा 22 में शब्द, ''छः माह तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये से अनधिक का जुर्माना अथवा दोनों हेतु दायी और उल्लंघन निरंतर जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिवस हेतु जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पाँच हजार रुपये से अनधिक अतिरिक्त जुर्माना'' के

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				स्थान पर, ''दो लाख रुपये तक शास्ति का दायी और उल्लंघन जारी रहने की दशा में पांच हजार रुपये तक अतिरिक्त शास्ति तक हो सकता है, प्रत्येक दिवस हेतु, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है'' को रख दिया जाएगा। (ख) धारा 22क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:– ''22क– उल्लंघनों की जांच– (1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विशेष रूप में सशक्त कोई निरीक्षक, अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों या आदेशों के किसी भी उल्लंघन की जांच कर सकता है। (2) ऐसे निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन नोटिस जारी करने, दस्तावेज समन करने और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने तथा शास्ति की सिफारिश करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। (3) राज्य सरकार ऐसे जांचों हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियायें विहित कर सकती है। (ग) धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:– ''23- न्यायनिर्णयन प्रशमन एवं अपील– (1) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गये नियमों अथवा आदेशों का कोई भी उल्लंघन, धारा 22क के अधीन निरीक्षक द्वारा की गई जांच के आधार पर, धारा 9 के अंतर्गत नियुक्त गन्ना आयुक्त अथवा धारा 10 के अधीन नामित अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के अध्यधीन होगा। (2) गन्ना आयुक्त अथवा धारा 10 के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, शास्ति के लिए दायी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर धारा 22 के अधीन अधिरोपित शास्ति के पचास प्रतिशत से अनधिक होने वाला संविरचना फीस उद्ग्रहण कर उल्लंघन का शमन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अध्यधीन कर सकते हैं। (3) किसी शास्ति या प्रशमन विनिश्चय से कोई व्यथित व्यक्ति धारा 9 के अधीन नियुक्त गन्ना आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी के समक्ष 30 दिवसों के भीतर, ऐसे रूप एवं रीति से अपील कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।'' (घ) धारा 24 को निकाल दिया जायेगा।
2	1956	3	उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955	(क) धारा 8 को निकाल दिया जायेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	1959	2	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959	(क) धारा 465 में– (एक) उपधारा (1) में, शब्द ''कारावास जो एक माह तक हो सकता है या ऐसी शास्ति जो एक सौ रुपये तक हो सकती है या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है'' शब्दों, अंकों एवं अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे–''ऐसे नगर में, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, पाँच लाख रुपये तक तथा ऐसे नगर में, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो, तो एक लाख रुपये तक के जुर्माने का उत्तरदायी होगा।'' (दो) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:– (2) ''जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन शास्ति हेतु दायी हो, वहाँ न्यायनिर्णायक अधिकारी सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् किसी भी भवन को तुरंत हटाने अथवा उस भूमि के प्रचालन अथवा उपयोग को समाप्त करने का आदेश दे सकता है, जिसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन हुआ हो।'' (तीन) उपधारा (3) में, शब्द ''एक माह तक के कारावास अथवा एक सौ रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित'' के स्थान पर शब्द ''दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की दशा में पांच लाख रूपऐ तक और दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर की दशा में एक लाख रूपये तक के शास्ति हेतु दायी होगा'' रख दिये जायेंगे।
4	1961	33	उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961	(क) धारा 107-क में शब्द साधारण कारावास ''जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है और ऐसा जुर्माना जिसे बीस हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डनीय'' के स्थान पर शब्द ''जिसे ऐसे शास्ति का दायी होगा जो दो लाख रुपये तक विस्तारित किया जा सकता है'' रख दिया जायेगा। (ख) धारा 240 के लिए, निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात्:– ''राज्य सरकार धारा 240 नियम बनाने में और उप–विधि बनाने में जिला पंचायत, विहित प्राधिकारी की मंजूरी से, यह निदेश दे सकती है कि इस उपबंध को भंग करने पर शास्ति लगायी जाएगी, जो एक हजार रुपये तक विस्तारित हो सकती है। यदि भंग निरंतर होता है, तो प्रारंभिक भंग के पश्चात् उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस हेतु पचास रुपये तक का अतिरिक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। भंग की पुनरावृत्ति होने की दशा में अपराधी पच्चीस हजार रुपये तक विस्तारित किये जा सकने वाले शास्ति का दायी होगा।'' (ग) धारा 264–ञ हेतु निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः– धारा 264 में यदि कोई व्यक्ति धारा 264-घ अथवा धारा 264-च के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह एक लाख रुपये तक विस्तारित किये जा सकने वाले शास्ति का दायी होगा।''
5	1976	3	उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976	(क) धारा 6 में, शब्द ''ऐसा कारावास जिसका विस्तार छह माह तक हो सकता हो अथवा जुर्माना अथवा दोनों के साथ'' के स्थान पर शब्द ''शास्ति जिसे पचहत्तर हजार रुपये तक विस्तारित किया जा सकता है'' रख दिया जायेगा।
6	1976	6	उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976	(क) धारा 16 क में– (एक) शब्द और प्रतीक ''ऐसी अवधि के कारावास जो छह माह तक हो सकता है या ऐसा जुर्माना जो पाँच हजार रूपए तक हो सकता है या दोनों से दंडित'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक, ''ऐसी शास्ति जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकती है के लिए दायी'' रख दिए जाऐंगे। (दो) विद्यमान पाठ के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:– ''इस धारा के प्रयोजन हेतु, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, जांच आयोजित करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी।''
7	1976	45	उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976	(क) धारा 10 में, शब्द ''उसे कारावास का जो छः माह तक का हो सकता है, या जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों का दण्ड दिया जायेगा'' के स्थान पर शब्द ''जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा'' रख दिया जायेगा। (ख) धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:– ''10क- शास्तियों का न्यायनिर्णयन – मंडलीय वन अधिकारी, धारा 10 के अधीन शास्ति अवधारित करने तथा अधिरोपित करने हेतु, ऐसी रीति से जांच करेगा, जैसी विहित। (ग) धारा 13 निकाल दी जाएगी। (घ) धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:– ''15 (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, उद्यान अथवा सार्वजनिक भूमि में स्थित किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, प्रति वृक्ष पाँच हजार रुपए से अनधिक धनराशि, उस अपराध हेतु प्रशमन के रूप में स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा। (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन किसी वन, उद्यान अथवा सार्वजनिक भूमि में स्थित एक समय में पच्चीस से अधिक वृक्षों के संबंध में अपराध किया है, प्रति वृक्ष दस हजार रुपये से अनधिक धनराशि उस अपराध हेतु प्रशमन के रूप में स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जायेगा। (3) उपधारा (1) अथवा (2) में विनिर्दिष्ट शमन शुल्क का संदाय न किए जाने की स्थिति में, शमन शुल्क भूमि राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता है। (4) यदि ऐसी धनराशि किसी ऐसे अधिकारी को संदाय कर दी जाती है, तो संदिग्ध, यदि हिरासत में हो, तो रिहा किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा धारा 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा अधिकारी, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाली अन्यून दस हजार रुपये की धनराशि के संदाय पर, इस अधिनियम के अधीन जब्त की गई कोई भी संपत्ति निर्मोचित कर सकता है।
8	2012	8	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006	(क) धारा 229 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:– ''(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति– (क) जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षित विधिपूर्वक कोई विवरण या सूचना प्रदान करने में विफल रहता है; अथवा (ख) जो कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रदान करता है जो मिथ्या हो तथा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वो मिथ्या है; अथवा (ग) जो कलेक्टर, या किसी अन्य राजस्व अधिकारी या ग्राम पंचायत को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार किसी भूमि के कब्जा करने में बाधा उत्पन्न करता है; अथवा (घ) धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने में किसी अधिकारी या लोक सेवक को बाधा पहुँचाता है; दो लाख रुपये तक की शास्ति का दायी होगा।''

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	2019	13	उत्तर प्रदेश भू–जल (प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम, 2019)	(क) धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:– ''39– अपराध तथा शास्तियाँ– (1) यदि कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा भूजल के वृहद उपभोक्ता, अथवा कोई भी ड्रिलिंग अभिकरण, समुचित प्राधिकारी अथवा राज्य भूजल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में बाधा पहुंचाती है, तो ऐसा व्यक्ति, प्रथम अपराध के मामले में, कारावास से जो अन्यून छः मास होगा लेकिन जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, अथवा जुर्माने से जो अन्यून दो लाख रुपये होगा लेकिन जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किए गए अपराध की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति, पूर्व अपराध हेतु दी गई जुर्माने की धनराशि के दोगुने जुर्माने के साथ–साथ उक्त उपधारा के अधीन दी गई कारावास की सजा का भी दायी होगा। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत प्राधिकार अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकेगा। (2) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा भूजल के वृहद उपभोक्ता जो धारा 27 अथवा 29 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह – (क) प्रथम बार अपराध हेतु, शास्ति जो दस लाख रुपये से अन्यून होगी, के लिए दायी होगा; (ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध हेतु शास्ति, जो पंद्रह लाख रुपये से अन्यून होगी, के लिए दायी होगा; (3) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या भूजल के वृहद उपभोक्ता अथवा वेधन अभिकरण, जो उपधारा (1), (2) के अधीन या अध्याय पाँच के अधीन उपबंधों के सिवाय, इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन करने में विफल रहता है, वह न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, के लिए दायी होगा। द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की स्थिति में, ऐसा व्यक्ति शास्ति के लिए दायी होगा, जो पूर्व में अधिरोपित राशि का दुगुना होगा। इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्राधिकार अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। (4) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक अथवा सामूहिक भूगर्भ जल का उपभोक्ता, जो धारा 26 की उपधारा (2) अथवा धारा 28 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह– (क) प्रथम उल्लंघन हेतु, न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो 10 लाख रुपये तक हो सकती है, के लिये दायी होगा; (ख) किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन हेतु न्यूनतम शास्ति जो चालीस लाख रुपये तक हो सकती है, के लिये दायी होगा;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(5) कोई भी जलापूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न), जो ऐसे भूगर्भ जल की आपूर्ति करता है या कराता है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन विहित गुणवत्ता मानक को पूर्ण करने में विफल हो, न्यूनतम शास्ति जो विहित की जाय और जो पाँच लाख रुपये तक हो सकती है, के लिए दायी होगा। (6) जो कोई किसी भवन का स्वामी होते हुए ऐसे रेखाचित्र स्वीकृत करने हेतु सक्षम किसी विकास प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी रेखाचित्र, अभिकल्प और मार्ग दर्शनों के अनुसार भूगर्भ जल पुनर्भरण करने के लिए वर्षा जल संचयन तंत्र प्रतिष्ठापित करने में विफल रहता है, तो वह भवन उपविधियों के अधीन निर्मित संबंधित उपबंधों हेतु दायी होगा। (ख) धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:– ''39क- न्यायनिर्णयन एवं वसूली– (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, धारा 39 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, किसी अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगी।'' (2) शास्ति की अधिरोपित राशि का संदाय न किए जाने की स्थिति में, राशि भू–राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य होगी।''
10	2022	16	उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022	(क) धारा 36 में शब्द और प्रतीक ''ऐसा जुर्माना जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय,'' के स्थान पर, शब्द और प्रतीक ''शास्ति जो पचहत्तर हजार रूपये तक हो सकती है, के लिए दायी'' रख दिए जाऐंगे। (ख) धारा 39 में, शब्द और प्रतीक ''ऐसी अवधि के कारावास जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसा जुर्माना जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, से या दोनों से और जहाँ अपराध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				हो वहाँ ऐसा अग्रसर जुर्माना जो, प्रथम अपराध के पश्चात् 'जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो, प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''ऐसी शास्ति जो पचहत्तर हजार रुपये तक हो सकती है और जहाँ उल्लंघन जारी हो, वहाँ अतिरिक्त शास्ति, जो प्रथम उल्लंघन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी हो, प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकती है, हेतु दायी'' रख दिए जाएंगे।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 77 सा0 विधायी–11–12–2025–(804)–1000 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

77 RPH (Sugamya Vyapar) 2025 data 6e